

1. प्रहलाद पुत्र नौरगलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

बनाम

वादी

1. सम्पतराम पुत्र नौरगराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र नौरग जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. चिडिया पुत्री नौरग जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. भगवानी पुत्री नौरग जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. जयलाल पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. महेन्द्र सिंह बैनीवाल पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. सुभाष पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
8. जयसिंह पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
9. मनीदेवी पुत्री राजेराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
10. कमला पुत्री राजेराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
11. ठाकरीदेवी पत्नी राजेराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
12. भूपसिंह पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
13. कृष्ण पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
14. हवासिंह पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
15. सरजीतसिंह बैनीवाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
16. विनोद कुमार पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
17. गुडडी पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
18. जयदेई पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
19. विमला पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
20. चम्पा पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

परोकार राज

निर्णय दिनांक :- 24/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 56/49 की कुल 8.0960 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नौरग पुत्र सहीराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नौरग पुत्र सहीराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता नौरग पुत्र सहीराम एव उसकी पत्नी दाखा का देहान्त हो चुका है नौरग पुत्र सहीराम के पुत्र राजेराम एव मनफुल का देहान्त हो चुका है इसप्रकार नौरग पुत्र सहीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 है जो नौरग पुत्र सहीराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 3, 4 वादी की बहने एवं नौरग पुत्र सहीराम की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 राजेराम की पुत्रीया/पत्नी है प्रतिवादी संख्या 17 ता 20 मृतक मनफुल की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 3, 49 ता 11, 17 ता 20 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 ता 8, 12 ता 16 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 ता 8, 12 ता 16 के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते उपखर्च किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की नौरग पुत्र सहीराम के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,5 ता 8,12 ता 16 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नौरग पुत्र सहीराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता नौरग पुत्र सहीराम एव उसकी पत्नी दाखा का देहान्त हो चुका है नौरग पुत्र सहीराम के पुत्र राजेराम एव मनफुल का देहान्त हो चुका है इसप्रकार नौरग पुत्र सहीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 है जो नौरग पुत्र सहीराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 3,4,8 ता 11,17 ता 20 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,5 ता 8,12 ता 16 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,5 ता 8,12 ता 16 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,5 ता 8,12 ता 16 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 21 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात वादी के निवेदन पर पत्रावली प्रशासन गांव के (फोलोअप) अभियान वर्ष - 2022 में प्रस्तुत हुई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 56/49 की कुल 8.0960हेक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नौरग पुत्र सहीराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नौरग पुत्र सहीराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता नौरग पुत्र सहीराम एव उसकी पत्नी दाखा का देहान्त हो चुका है नौरग पुत्र सहीराम के पुत्र राजेराम एव मनफुल का देहान्त हो चुका है इसप्रकार नौरग पुत्र सहीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 है जो नौरग पुत्र सहीराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 3,4 वादी की बहने एवं नौरग पुत्र सहीराम की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 राजेराम की पुत्रीया/पत्नी है प्रतिवादी संख्या 17 ता 20 मृतक मनफुल की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 3,4,9 ता 11,17 ता 20 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,5 ता 8,12 ता 16 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,5 ता 8,12 ता 16 के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद/कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 56/49 की कुल 8.0960हेक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नौरग पुत्र सहीराम के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नौरग पुत्र सहीराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता नौरग पुत्र सहीराम एव उसकी पत्नी दाखा का देहान्त हो चुका है नौरग पुत्र सहीराम के पुत्र राजेराम एव मनफुल का देहान्त हो चुका है इसप्रकार नौरग पुत्र सहीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जो नौरग पुत्र सहीराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनों प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ,9 ता 11 ,17 ता 20 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ,9 ता 11 ,17 ता 20 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 ,5 ता 8 ,12 ता 16 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सयुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ,9 ता 11 ,17 ता 20 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेशकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सयुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 56/49 की कुल 8.0960हैक भूमि मृतक नौरग पुत्र सहीराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी प्रहलाद के पास 1/5 हिस्सा प0न0 343/436(18) के किला न0 22/0.202, प0न0 343/437(23) किला न0 1/0.152 ,2/0.2530 ,9 ता 12/1.0120 , कुल 1.619हैक भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 सम्पतराम का 1/5 हिस्सा में प0न0 342/436(17) के किला न0 25/0.2530 ,प0न0 343/436(18) के किला न0 20/0.2530 ,21/0.2530 ,प0न0 432/437(24) के किला न0 5 की 0.2530 , 6/0.2530 , 15/0.2530 ,प0न0 343/437(23) किला न0 1/0.101हैक कुल 1.619हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ओमप्रकाश के का 1/5 हिस्सा में प0न0 343/436(18) के किला न0 18/ ,19/0.5060 ,22/0.051 ,23/0.2530 ,प0न0 343/437(23) के किला न0 3/0.2530 ,8/0.2530 ,13/0.2530 ,18/0.051हैक कुल 1.620हैक भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 सयुक्त तौर से 1/5 हिस्सा में प0न0 343/436(18) किला न0 16/0.026 ,17/0.2530 ,24/0.2530 ,प0न0 343/437(23) के किला न0 4/0.2530 ,7/0.2530 ,14/0.2530 ,17/0.2530 ,18/0.202 कुल 1.746हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 12 ता 16 के पास सयुक्त तौर से 1/5 हिस्सा में प0न0 343/436(18) के किला न0 16/0.202 ,25/0.2280 , प0न0 343/437(23) के किला न0 5/0.2280 ,6/0.2270 ,15/0.2280 ,कुल 1.492हैक भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाव्ता दाखिल दपतर हो।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2022
कैम्प कोर्ट.....

प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान वर्ष - 2022

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. प्रहलाद पुत्र नौरगलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सम्पतराम पुत्र नौरगराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र नौरग जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. चिडिया पुत्री नौरग जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. भगवानी पुत्री नौरग जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. जयलाल पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. महेन्द्र सिंह बैनीवाल पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. सुभाषसिंह पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
8. जयसिंह पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
9. मनीदेवी पुत्री राजेराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
10. कमला पुत्री राजेराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
11. ठाकरीदेवी पत्नी राजेराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
12. भूपसिंह पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
13. कृष्ण पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
14. हवासिंह पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
15. रारजीत सिंह बैनीवाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
16. विनोद कुमार पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
17. गुडडी पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
18. जयदेई पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
19. विमला पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
20. चम्पा पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 572 सन 2021 निर्णय दिनांक- 24/05/2022

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान वर्ष - 2022 में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 56/49 की कुल 8.0960 हैक् भूमि मृतक नौरग पुत्र सहीराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी प्रहलाद के पास 1/5 हिस्सा प0न0 343/436(18) के किला न0 22/0.202, प0न0 343/437(23) किला न0 1/0.152 ,2/0.2530 ,9 ता 12/1.0120 , कुल 1.619 हैक् भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 सम्पतराम का 1/5 हिस्सा में प0न0 342/436(17) के किला न0 25/0.2530 ,प0न0 343/436(18) के किला न0 20/0.2530 ,21/0.2530 ,प0न0 432/437(24) के किला न0 5 की 0.2530 , 6/0.2530 , 15/0.2530 ,प0न0 343/437(23) किला न0 1/0.101 हैक् कुल 1.619 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ओमप्रकाश के का 1/5 हिस्सा में प0न0 343/436(18) के किला न0 18/ ,19/0.5060 ,22/0.051 ,23/0.2530 ,प0न0 343/437(23) के किला न0 3/0.2530 ,8/0.2530 ,13/0.2530 ,18/0.051 हैक् कुल 1.620 हैक् भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 सयुक्त तौर से 1/5 हिस्सा में प0न0 343/436(18) किला न0 16/0.026 ,17/0.2530 ,24/0.2530 ,प0न0 343/437(23) के किला न0 4/0.2530 ,7/0.2530 ,14/0.2530 ,17/0.2530 ,18/0.202 कुल 1.746 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 12 ता 16 के पास सयुक्त तौर से 1/5 हिस्सा में प0न0 343/436(18) के किला न0 16/0.202 ,25/0.2280 , प0न0 343/437(23) के किला न0 5/0.2280 ,6/0.2270 ,15/0.2280 ,कुल 1.492 हैक् भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2022

कैम्प कोर्ट

